प्रतिवादीः– तहसीलदार तिंवरी।

-202

उपस्थित –

वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 27/1/21

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– सरहद मौजा घेवड़ा तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादी व अन्य खातेदारान की खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी व वादी के भाईयों द्वारा खरीद की गई थी जिसका बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध है। जिसमें वादी का नाम नेनसिंह दर्ज कर दिया तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नेनसिंह दर्ज हो रखा है। जबकि वादी का सही नाम हनुमानसिंह है। वादी के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स आदि में वादी का नाम हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह है जबकि वादी द्वारा भूमि खरीद करते वक्त टंकणीय त्रुटि से वादी का नाम नेनसिंह पुत्र आईदानसिंह दर्ज कर दिया इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि वास्तव में वादी का नाम हनुमानसिंह है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नेनसिंह के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह करवाना चाहता है। जिससे वादी को अपने हक हिस्से की भूमि में विकास कार्य करवाने में समस्या न हो। वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि की फोटो प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का गलत नाम के स्थान पर सही नाम दर्ज करना आवश्यक है। वादी ने अपने वाद में इस्तदुआ चाही कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा घेवड़ा तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 31 बीघा

05 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम नेनसिंह पुत्र आईदानसिंह के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

वादी उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि इसी पटवार मण्डल में अन्य राजस्व ग्राम घेवड़ा में प्रार्थी के नाम की खसरा नम्बर 556/4 व 556/1 खातेदारी भूमि है जिसमें इनका नाम हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इनका वास्तविक नाम हनुमानसिंह ही होना पाया गया। अतः राजस्व ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 237 में नेनसिंह पुत्र आईदानसिंह के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह किया जाना सही है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी का सही नाम हनुमानसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र घेवड़ा तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नेनसिंह पुत्र आईदानसिंह के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner